लादी देवी v/s राधा देवी वगैरह

2022/578

अपील 9/22

| क्र.सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशे |
|---|---|---|---|
| | 16/10/23 | पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/12/23 को पेश हों। | |
| | 11/12/23 | [illegible] पीठासीन अधिकारी द्वारा [illegible] किये जाने के कारण [illegible] नहीं पेश सकी। पी०ओ० [illegible] में व्यस्त है। अतः पत्रावली [illegible] दिनांक 16/1/24 को पेश हो। | |
| | 16/1/24 | पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य [illegible] में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/2/24 को पेश हो। | |
| | 20/2/24 | पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/3/24 को पेश हो। | |
| | 19/3/24 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं वक्त अदालत प्रार्थी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज [illegible] की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से वादी प्रार्थी का [illegible] पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नं० से कम हो वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.04.16 12:29:50 IST
Reason: SelfAttested

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)